

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार वनाम मुरारि
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-38 सन्-2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-38/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.12. 2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम टहलडी भूमि ख0न0 27 लगायत 31 कुल अतिक्रमित रकबा 0.67 है0 राजकीय न्यायालय भूमि किस्म चाही A पर गैर सायल मुरारी पुत्र गिल्या जाति बैरवा निवासी टहलडी द्वारा फसल काशत (सरसों) कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही गैर सायल द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत 91 की रिपोर्ट अनुसार न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 3 रुपये का 50 गुणा 150 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई0एल0आर0 /पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


तहसीलदार
मण्डावर (दौसा)